

प्रेस नोट दिनांक 24.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना अन्तू पुलिस की बड़ी सफलता : 08 जिंदा देशी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार
प्रतापगढ़ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन : विस्फोटक पदार्थ सहित 02 अपराधी हथ्थे चढ़े
थाना अन्तू पुलिस ने धर दबोचे 02 अभियुक्त, बरामद हुए 08 जिंदा देशी बम
अपराधियों पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा, विस्फोटक बरामदगी में 02 गिरफ्तार
एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में कार्रवाई, बम सहित 02 अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह का० अजय चौहान, का० अनिल यादव, का० संजय सिंह, का० बौद्ध प्रकाश, म०का० सर्वेश धनगर व चालक का० राजकुमार गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.08.2025 को रात्रि में थाना क्षेत्र अन्तू के भवानी सगरा तालाब के पास से 02 अभियुक्तों 1. शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई वर्मा निवासी जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष 2. चन्द्रशेखर ओझा पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ओझा का पुरवां (बहरिया) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष को 08 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 08 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना अन्तू में मु०अ०सं० 282/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई वर्मा निवासी जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष
2. चन्द्रशेखर ओझा पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ओझा का पुरवां (बहरिया) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष

बरामदगी-

08 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

आपराधिक इतिहास चन्द्रशेखर ओझा पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ओझा का पुरवां (बहरिया) थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

1. मु०अ०सं० 50/2007 धारा 435 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
2. मु०अ०सं० 589/2022 धारा 308, 323, 354(ख), 452, 504, 506 भादवि व 3(1)(इ), 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
3. मु०अ०सं० 354/2023 धारा 504, 506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी
4. मु०अ०सं० 121/2023 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
5. मु०अ०सं० 277/2024 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

6. मु0अ0सं0 606/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 282/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई वर्मा निवासी जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 66/2012 धारा 109, 41 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 304/2022 धारा 147, 148, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 282/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मतगंजन मिश्रा मय हमराह का0 अजय चौहान, का0 अनिल यादव, का0 संजय सिंह, का0 बौद्ध प्रकाश, म0का0 सर्वेश धनगर व चालक का0 राजकुमार गुप्ता थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई : हत्या के प्रयास प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार”
थाना कुण्डा पुलिस को मिली सफलता, मारपीट व हत्या प्रयास के 02 वांछित गिरफ्तार”
अपराधियों पर प्रतापगढ़ पुलिस का शिकंजा, कुण्डा में 02 वांछित दबोचे गए”
पुरानी रंजिश में हत्या प्रयास मामले के 02 अभियुक्त कुण्डा पुलिस के हत्थे चढ़े”
कुण्डा पुलिस की तत्परता से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कानून व्यवस्था मजबूत”

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2025 को थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत ग्राम फेरई का पुरवा शेरगढ़ में वादी को आरोपीगणों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0- 228/2025 धारा- 3(5), 109, 115(2), 352, 351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह, मय हमराह का0 अजीत कुमार यादव, का0 गजेन्द्र सिंह, महिला आरक्षी द्विकल शर्मा चालक हे0का अशोक कुमार यादव द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त 1. उमाशंकर मिश्रा पुत्र स्व० बजरंग प्रसाद मिश्रा उर्फ बजरंगी उम्र 55 वर्ष 2.सौरभ मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा उम्र करीब 23 वर्ष निवासीगण ग्राम फेरई का पुरवा (शेरगढ़) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कुण्डा के शेरगढ़ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उमाशंकर मिश्रा पुत्र स्व० बजरंग प्रसाद मिश्रा उर्फ बजरंगी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम फेरई का पुरवा (शेरगढ़) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
2. सौरभ मिश्रा पुत्र उमाशंकर मिश्रा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम फेरई का पुरवा (शेरगढ़) थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ०नि० अंकित सिंह, मय हमराह का० अजीत कुमार यादव, का० गजेन्द्र सिंह, महिला आरक्षी द्विकल शर्मा चालक हे०का अशोक कुमार यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन अपहरण, दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन कराने के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना लीलापुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गहिरी मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का गौरव यादव, का० कुन्दन शर्मा मय चालक का० अजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/3(5)/61(2)/64(1)/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 1. लोला खान पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बभनपुर गहरी थाना - लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़, 2. मुख्तार उर्फ गफ्फार पुत्र सखावत निवासी देवली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गहिरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. लोला खान पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बभनपुर गहरी थाना - लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ ।
2. मुख्तार उर्फ गफ्फार पुत्र सखावत निवासी देवली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त लोला खान पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बभनपुर गहरी थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 456/2018 धारा 323,325, 504,506 थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु०अ०सं० 221/2023 धारा 506 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु०अ०सं० 77/22 धारा 506/452/323 भादवि व 3/5 उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम 2020 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु०अ०सं० 258/24 धारा 308 (5)/333/352/351(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु०अ०सं० 204/25 धारा 87/3(5)/61(2)/64(1)/351(3) बीएनएस एवं 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- मुख्तार उर्फ गफ्फार पुत्र सखावत निवासी देवली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 204/25 धारा 87/3(5)/61(2)/64(1)/351(3) बीएनएस एवं 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण -

प्रभारी निरीक्षक लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का गौरव यादव, का० कुन्दन शर्मा मय चालक का० अजय यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत जमादार बाबा गेट के पास ग्राम सुदरनगरी से गिरफ्तार किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना नवाबगंज के थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह हे०का इन्दल सिंह, का० विपिन चौधरी व म०का० गुन्जन मय चालक रवि सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64, 332बी, 351(2) बी.एन.एस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र फूलचन्द्र निवासी छोटी नरौली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 35 वर्ष को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत जमादार बाबा गेट के पास ग्राम सुदरनगरी से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुनील कुमार पुत्र फूलचन्द्र निवासी छोटी नरौली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 35 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह हे०का इन्दल सिंह, का० विपिन चौधरी व म०का० गुन्जन, मय चालक रवि सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।